क्रम संख्या–203 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 29, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 945 / IX–1 / 2015

देहरादून, 20 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

प0 आ0–164

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 74 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा–212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अधिसूचना संख्या 323 / ix–1 / 2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 71 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 71 में नीचे स्तम्भ I मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ II में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

वर्तमान नियम स्तम्भ–I	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–II
71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी– **(एक)** परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची तीन प्रतियों में **निम्नलिखित** प्रपत्र में तैयार करायेगा–	**71 ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्तें** मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी– **(एक)** परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा–
यात्रियों की सूची मोटरयान की संख्या.................... दिनांक...................प्रस्थान का समय.. ....से.............तक	**यात्रियों की सूची** मोटरयान की संख्या.................... दिनांक...................प्रस्थान का समय.. ....से.............तक

स्तम्भ–I की तालिका:

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

स्तम्भ–II की तालिका:

क्रम संख्या	यात्री का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

स्तम्भ–I	स्तम्भ–II
	सूची यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी।
(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा एक प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी।	**(दो)** परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाडे के भुगतान की भाडेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।	**(तीन)** परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।
(चार) परमिट धारक प्रतिदिन की वार्षिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राईवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पंहुचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य बिन्दुओं को और भाडेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा।	**(चार)** उक्त लाग बुक एक वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।
(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उपर्युक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लाग बुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लाग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाडी पर लागू नहीं होगी।	

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No.945/IX-1/2015,** dated November 20, 2015 for general information:

No. 945/IX-1/2015

Dated Dehradun, November 20, 2015

NOTIFICATION

In exercise of the power under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. 10 of 1897) and with a view to amend Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011, the Governor is pleased to make the following Rules after their previous publication by Govenment Notification No. 323/ix-1/2015 dated 16th April 2015 as required under subsection (1) of section 212 of the said act as follows-

The Uttarakhand Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2015

Short title and commencement 1 (1) These rules may be called the Uttarakhand Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette .

Amendment of Rule 71 2 In the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011 for the existing rule 71, as set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely-

Column I Existing Rule	Column II Rules as hereby substituted
71 Additional conditions of contract carriage permit The following shall be the additional conditions of every contract carriage other than a motor cab—	**71 Additional conditions of contract carriage permit** The following shall be the additional conditions of every contract carriage other than a motor cab—
(i) the permit-holder shall cause to be prepared in triplicate a list of passengers traveling in the vehicle in the following form in respect of each trip :	(i) the permit-holder shall cause to be prepared a list of passengers traveling in the vehicle in the following form in respect of each trip:

LIST OF PASSENGERS (Column I)

Motor Vehicle No-------

Date------ Time of Departure......

From-- ... to ....

S. No.	Name of the Passenger	Father's/ Husband's Name	Age	Address
1	2	3	4	5

LIST OF PASSENGERS (Column II)

Motor Vehicle No-------

Date------ Time of Departure......

From-- ... to ....

S. No.	Name of the Passenger	Father's/ Husband's Name	Age	Address
1	2	3	4	5

	It shall be carried in the vehicle and shall be produced on demand by the officers authorized to demand production of documents by or under the act.
(ii) One copy of the list shall be sent by Registered Post Acknowledgement Due to the Authority which issued the permit for record, the second copy shall be carried in the vehicle and shall be produced on demand by the officers authorized to demand production of documents by or under the Act, the third copy shall be preserved by the permit holder;	(ii) the permit-holder or his authorized agent shall issue a receipt to the hirer in respect of payment received for hire and the counterfoil of the same shall be kept available with him and produce on demand to the officer authorized to demand documents by or under the Act;
(iii) the permit-holder or his authorized agent shall issue a receipt to the hirer in respect of payment received for hire and the counterfoil of the same shall be kept available with him and produce on demand to the officer authorized to demand documents by or under the Act;	(iii) the permit-holder shall maintain an yearly day to day logbook indicating the name and address of the permit-holder and the registration mark of the vehicle, name and address of the driver with the particulars of his driving license and the starting and destination points of the journey with the time of departure and arrival and the name and address of the hirer;
(iv) the permit-holder shall maintain an yearly day to day logbook indicating the name and address of the permit-holder and the registration mark of the vehicle, name and address of	(iv) The said logbook shall be preserved for a period of one year and shall be made available to the prescribed officer on demand by him for inspection during the said period;

the driver with the particulars of his driving license and the starting and destination points of the journey with the time of departure and arrival and the name and address of the hirer;

(v) The permit-holder shall quarterly furnish an extract of the log book specified in condition (iv) above to the Transport Authority which issued the permit. The said logbook shall be preserved for a period of three years and shall whenever required be made available to the said authority for inspection during the said period:

Provided that nothing in this rule shall apply to any contract carriage hired to carry a marriage party.

Provided that nothing in this rule shall apply to any contract carriage hired to carry a marriage party.

By Order.

S. RAMASWAMY,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 परिवहन/689—2015—100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।